

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/56002/2014

जयपुर, दिनांक : 20 JUN 2019.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य पर औसत मजदूरी दर के संबन्ध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.8.2010
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों में दैनिक मजदूरी दर अत्यधिक कम आने की स्थिति में कार्यों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। योजनान्तर्गत सम्पादित कराए जा रहे कार्यों में से कुछ कार्यों पर आ रही अत्यन्त न्यून मजदूरी दर आने की स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि कार्य की प्रगति के दौरान ही इस पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जावे। इस हेतु योजनान्तर्गत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने के फलस्वरूप संदर्भित पत्र के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-


1. मेट द्वारा कार्य की माप किये जाने पर औसत मजदूरी दर अधिसूचित मजदूरी दर से 70 प्रतिशत से कम अनुमानित होने पर अनुमानित मजदूरी दर से तुरन्त ग्राम रोजगार सहायक/ कनिष्ठ सहायक/ ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच को अवगत कराया जायेगा।
2. उक्त सूचना प्राप्त होते ही ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक/ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा यह सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा एवं सहायक अभियन्ता महात्मा गांधी नरेगा को दी जायेगी। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी स्वयं कार्यस्थल पर जाकर मेट एवं श्रमिकों को समूह में कार्य हेतु प्रोत्साहित करेंगे तथा मजदूरी दर बढ़ाये जाने का प्रयास करेंगे।
3. निम्न तालिका के अनुसार मजदूरी दर की श्रेणी के अनुरूप जिला/पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत अधिकारियों स्वयं के द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाकर सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी, निरीक्षण पंजिका में इन्द्राज किया जायेगा एवं उच्चाधिकारियों को तुरन्त अवगत कराया जायेगा।

क्र. सं.	अनुमानित मजदूरी दर	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	उच्चाधिकारी जिसे अवगत कराया जाना है
1	70 प्रतिशत से कम एवं 60 प्रतिशत से अधिक	सहायक अभियन्ता संबन्धित पंचायत समिति	1. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी 2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस
2	60 प्रतिशत से कम एवं 40 प्रतिशत से अधिक	विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी	1. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
40 प्रतिशत से कम मजदूरी दर होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी स्वयं के द्वारा तुरन्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस को दी जायेगी।			

क. स.	अनुमानित मजदूरी दर	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	उच्चाधिकारी जिसे अवगत कराया जाना है
3	40 प्रतिशत से कम एवं 30 प्रतिशत से अधिक (कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सूचना अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को दी जायेगी।)	अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक 2. जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक
4	30 प्रतिशत से कम एवं 15 प्रतिशत से अधिक	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय	1. जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक 2. आयुक्त, ईजीएस।
30 प्रतिशत या इससे कम मजदूरी दर होने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, स्वयं के द्वारा जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जायेगी।			
5	15 प्रतिशत से कम	जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक	1. आयुक्त, ईजीएस

70 प्रतिशत से कम मजदूरी दर होने की स्थिति में यदि कार्यक्रम अधिकारी के पास कार्य की प्रगति के दौरान सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबन्धित मेट एवं ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार तालिका में वर्णित अनुसार सूचना नहीं दिये जाने/निरीक्षण नहीं किये जाने पर संबन्धित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

 (राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
8. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
9. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
10. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस